रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 1982/फाल्गुन 12, 1903
No. 79] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 1982/PHALGUNA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1982

का०आ० 117(अ).—केन्द्रीय सरकार (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी स्तम्भ (2) में यथावर्णित वस्त्रों के अनुसूचित उद्योगों में सम्पूर्णतः या अंशतः पटसन में विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर 3 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाली 90 दिन की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जायेगा।

सारणी

क्रमांक	माल के वर्गों का वर्णन	प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	गलीचा अस्तर	8 50 रु. (केवल आठ रुपये पचास पैसे)
2.	बोरों, गलीचा अस्तर और सूती बोरा वस्त्र से भिन्न हैसियन और पटसन के कपड़े	7 00 रु० (केवल सात रुपये)
3.	बोरे	5 62 रु० (केवल पांच रुपये बासठ पैसे)
4.	सूत	5.62 रु० (केवल पांच रुपये बासठ पैसे)
5.	रज्जू	3.75 रु० (केवल तीन रुपये पचहत्तर पैसे)
6.	सूती बोरा कपड़ा	2 50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे)
7.	पैसे विनिर्माण (उनसे भिन्न जो ऊपर क्रम सं० 1 से 6 में विनिर्दिष्ट हैं) जिनमें पटसन की मात्रा कुल भार का 50 प्रतिशत या अधिक हो।	6.25 रु० (केवल छह रुपये पच्चीस पैसे)

[फा० सं 8/19/80-एल०पी०]
एम० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1982

S.O. 117 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the scheduled industry of textiles as mentioned in column (2) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act, for a period of ninety days commencing on the 3rd March, 1982 at such rates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No	Description of class of goods	Rates of duty of excise per tonne
(1)	(2)	(3)
1.	Carpet backing	Rs. 8.50 (Rupees eigth and paise fifty only)
2.	Hessian and jute fabrics other than sacking, carpet backing and cotton bagging.	Rs. 7.00 (Rupees seven only).
3.	Sacking	Rs. 5.62 (Rupees five and paise sixty-two only)
4.	Yarn	Rs. 5.62 (Rupees five and paise sixty-two only)
5.	Twine	Rs. 3.75 (Rupees three and paise seventy-five only).
6.	Cotton bagging	Rs. 2.50 (Rupees two and paise fifty only).
7.	The manufactures (other than those specified at serial Nos. 1—6 above) containing 50 per cent or more of jute by weight.	Rs. 6.25 (Rupees six and paise twenty-five only).

[File No. 8/19/80-LP]

S. L. KAPOOR, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1982